रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052021-226899 CG-DL-E-06052021-226899

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1652]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 6, 2021/वैशाख 16, 1943

No. 1652]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 2021/VAISAKHA 16, 1943

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2021

का. आ.1779(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित दिल्ली- लुधियाना -अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के कि.मी. 432.3 से कि.मी. 475.7 (कठुआ) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सिहत 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त कठुआ (कमरा क्रमांक। 1,1 वीं मंजिल, डीसी कार्यालय परिसर, कठुआ) को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

2525 GI/2021 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

# अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित दिल्ली- लुधियाना -अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के कि.मी. 432.3 से कि.मी. 475.7 (कठुआ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर जिले का नाम: कठुआ									
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: कठुआ									
गांव का नाम: नारायणपुर									
1	105	निजी	कृषि	1.8411000(हेक्टेयर )	1.8411000				
2	132	निजी	कृषि/ रेजिडेन्शल	0.9408000(हेक्टेयर )	0.9408000				
3	133	निजी	कृषि	0.8320000(हेक्टेयर )	0.8320000				
तालुक का नाम: नगरी परोले									
गांव का नाम: किरपाल									
1	2	अन्य(निजी/ सरकारी)	कृषि	0.0772000(हेक्टेयर )	0.0772000				
2	3	सरकारी	कृषि	0.1653000(हेक्टेयर )	0.1653000				
3	5	निजी	कृषि	0.0278000(हेक्टेयर )	0.0278000				
		3.8842	3.8842						

फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3A ]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2021

**S.O. 1779(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of Newly Proposed in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 432.3 to Km. 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Kathua (Room no. 1,1st Floor, DC Office Complex, Kathua) in writing and shall set out the grounds thereof and the

Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### **SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH No. Newly Proposed in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 432.3 to Km. 475.7 in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR District: KATHUA									
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)				
Taluk: Kathua									
Village: Narain Pur									
1	105	Private	Agriculture	1.8411000(Hectare)	1.8411000				
2	132	Private	Agriculture/ Residential	0.9408000(Hectare )	0.9408000				
3	133	Private	Agriculture	0.8320000(Hectare)	0.8320000				
Taluk: Nagri Parole									
Village: Kirpal									
1	2	Common(Private/ Government)	Agriculture	0.0772000(Hectare )	0.0772000				
2	3	Government	Agriculture	0.1653000(Hectare )	0.1653000				
3	5	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare )	0.0278000				
Total 3.8842									

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3A]

RAJESH GUPTA, Director